विभाग का नाम :–खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :–_आठवां तल, मयुर भवन, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

ताराकित/अतांराकित प्रश्न संख्या :– 179–अतारांकित

दिनांकः–21–03–2018

प्रश्नकर्त्ता का नाम :–श्री सोमनाथ भारती

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :–

	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली में जनता को अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराने हेतु लागू होने वाले कानून/उपनियम/अधिनियम/नियम मानदंड क्या हैं, व इनको लागू कराने की प्रकिया क्या है,	दिल्ली में जनता को अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराने हेतु खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 नियम व विनियमन 2011 है, इसके तहत लाईसेस देना, औचक निरीक्षण, जांच के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने लेना, साफ–सफाई का विशेष ध्यान (अनुसूची–4) व सुधार नोटिस, कारण बताओ नोटिस देना आदि प्रकिया शामिल है।
ख	इनके उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए हैं व उनकी वर्तमान स्थिति क्या है,	उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 2015 से अबतक कुल 383 केस संबंधित न्यायालय में दर्ज किए गए हैं। जिनका ब्यौरा संलग्नक 'क' पर है। अबतक 944 मुकदमें विभिन्न न्यायालयो में लंबित हैं, जिनका ब्यौरा संलग्नक 'ख' में है।
ग	कच्चे फलों को रसायनों से पकाने वाले व्यापारियों पर नियंत्रण और निगाह रखने के लिए क्या व्यवस्था है,	कच्चे फलों को रसायनों से पकाने वाले व्यापारियों पर नियंत्रण और निगाह रखने के लिए विभाग द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण कर फलों के नमूने जांच के लिए उठाये जाते हैं, उल्लंघन पाये जाने पर खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006

		नियम व विनियमन 2011 के तहत कार्रवाई की जाती है।
घ	क्या मसालों, खाद्य तेलों व अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं,	जी हां, विभाग द्वारा मसालों, खाद्य तेलों व अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट पर नियंत्रण के लिए नियमित रूप से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं, उल्लंघन पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 नियम व विनियमन 2011 के तहत कार्रवाई की जाती है।
ड़	यदि हां, तो उनका ब्यौरा दें,	पिछले तीन सालों का ब्यौरा संलग्नक 'ग' संलग्न है।
च	क्या आटा मिलों पर सरकार का कोई नियंत्रण है ताकि आटा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके,	जी हां, विभाग द्वारा आटा मिलों पर आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आटे के नमूने लिए जाते हैं, उल्लंघन पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 नियम व विनियमन 2011 के तहत कार्रवाई की जाती है।
छ	क्या दाल का भंडारण करने वालों पर सरकार का कोई नियंत्रण है व रसायनों का उपयोग करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है,	जी हां, विभाग द्वारा दाल का भंडारण करने वाले व रसायनों का उपयोग करने वाले व्यापारियों पर नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा दालों के नमूने लिए जाते हैं तथा उल्लंघन पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 नियम व विनियमन 2011 के तहत कार्रवाई की जाती है।
ज	क्या यह सत्य है कि कुछ ड्राइफ्रुट विक्रेता रसायनों से साफ किए हुए ड्राइफ्रुट बेच रहे हैं,	विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में ड्राईफ्रुट के 30 नमुने लिए गए है, किसी भी नमूने में जांच के दौरान रसायन के इस्तेमाल का कोई भी सबूत नहीं मिला है।
झ	यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है,	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

संलग्नक 'क'

खाद्य संरक्षा विभाग दिल्ली सरकार में दाखिल अदालती मुकदमों की संख्याः–

क0सं	**न्यायालय**	**मुकदमें की संख्या**
1	निचली अदालत	वर्ष संख्या 2015–16 24 2016–17 9 2017 से अबतक– 12
2	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत	वर्ष संख्या 2015–16 128 2016–17 100 2017 से अबतक– 110
	कुल	383

संलग्नक 'ख'

खाद्य संरक्षा विभाग दिल्ली सरकार में लंबित अदालती मुकदमों की संख्याः–

क्र0सं	न्यायालय	मुकदमें की संख्या
1	निचली अदालत	426
2	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत	262
3	ट्रिब्यूनल एण्ड सत्र न्यायाधीश	62
4	सत्र् न्यायालय	121
5	उच्च न्यायालय	66
6	सर्वोच्च न्यायालय	07
	कुल	944

संलग्नक 'ग'

जांच के लिए उठाये गए नमूने

क्र0सं	वर्ष	लिए गए कुल नमूने	शुद्ध	मिसब्रान्डेड	सबस्टैंडर्ड	असुरक्षित	उल्लंघन	
1	01/04/2015 से 31/03/2016	1474	1235	95	40	74	30	
2	01/04/2016 से 31/03/2017	1155	1035	54	14	33	19	
3	01/04/2017 से 12/03/2018	1222	1019	52	17	33	11	•90 लंबित